HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

ORDER

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail No. 7837 / 2017

Hasmuddin @ Badda S/o Shri Kanhaiya B/c Mave, R/o Ahlapur Jatt, Police Station Tijara, Distt. Alwar (raj.) (presently Accused is Confined in Sub Jail Kishangar Bass).

----Accused/Petitioner

Versus

State of Rajasthan Through P.P.

----Respondent

आदेश दिनांकः 31.08.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री गुरविन्दर सिंह, अधिवक्ता– प्रार्थी की ओर से।
श्री सुदेश सैनी, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

स्थगन हेतु आवेदन पेश हुआ है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी इसे वापिस लेना चाहते हैं। अतः स्थगन आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त–प्रार्थी ने अपनी जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन पुलिस थाना–तिजारा, जिला–अलवर में पंजीबद्ध की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 129/2017 अपराध अन्तर्गत धारा 5, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का पूर्व का जमानत आवेदन अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी प्रार्थी में अस्वीकार किया गया था। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है। प्रार्थी दिनांक 30मार्च, 2017 से अभिरक्षा में है। उसे इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। उसके घर से चार बछडों की बरामदगी बतायी गयी है, जिसके आधार पर उसके विरूद्ध आरोपित अपराध नहीं बनता है। अतः प्रार्थी को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री तथा विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि प्रार्थी दिनांक 30मार्च, 2017 से अभिरक्षा में है तथा उससे अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका हैं, मैं प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त–प्रार्थी को धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित पाता हूं।

अतः अभियुक्त–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह जमानत का द्वितीय प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त–प्रार्थी हसमुदीन उर्फ बद्दा पुत्र कन्हैया द्वारा रूपये **1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र)** का स्वयं का बंध पत्र तथा रूपये **50,000/– – 50,000/– (पचास–पचास हजार रूपये मात्र)** रूपये की दो प्रतिभूति विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि की पेश की जावे, तो उसे **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 129/2017 पुलिस थाना–तिजारा, जिला–अलवर** से सम्बन्धित प्रकरण में इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होता रहेगा।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल/5